

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-2-05/2019 4068 पटना, दिनांक 08/9/2020

अधिसूचना

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010" में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत दिनांक 29.06.2020 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की गयी। समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार अभियंत्रण सेवा सवर्ग के अभियंताओं के सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 30 वर्षों के नियमित सेवा हेतु के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अधीक्षण अभियंताओं को क्रमशः उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति स्तम्भ -7 में अंकित वेतन स्तर में प्रदान की जाती है:-


क्र०	नाम/गृह जिला	वर्षीयता क्रमांक वर्ष 2016	जन्म तिथि	अभियंता सवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन की देय तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन का देय वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अशोक कुमार मिश्रा/सुपौल	27	09.06.1963	22.06.1987 स0अ0	22.06.2017	वेतन स्तर 13A
2	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा/पटना	29	05.01.1964	23.06.1987 स0अ0	23.06.2017	वेतन स्तर 13A
3	श्री सतीश कुमार/नालंदा	33	25.10.1960	26.06.1987 स0अ0	26.06.2017	वेतन स्तर 13A
4	श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह/बेगुसराय	35	10.11.1962	18.06.1987 स0अ0	18.06.2017	वेतन स्तर 13A
5	श्री सुनील कुमार/बेगुसराय	40	15.10.1960	16.03.1988 स0अ0	16.03.2018	वेतन स्तर 13A
6	श्री लक्ष्मीनारायण पासवान/मधुबनी (से0नि0)	91	21.01.1959	24.06.1987 स0अ0	24.06.2017	वेतन स्तर 13A
7	श्री विश्वनाथ चौधरी/नालंदा (से0नि0)	95	22.01.1960	22.06.1987 स0अ0	22.06.2017	वेतन स्तर 13A
8	श्री निर्मल कुमार/मधुबनी	143	04.03.1966	16.08.1989 स0अ0	16.08.2019	वेतन स्तर 13A
9	श्री यज्ञ नारायण मिश्र/बक्सर (से0नि0)	26	12.02.1958	29.06.1987 स0अ0	29.06.2017	वेतन स्तर 13A

Handwritten signature

8/9/2020

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22(I) एवं (II) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
4. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(संजय दूबे)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-05/2019 4069 पटना, दिनांक 08/09/2020

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी
वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग(वित्त विभाग) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


08/09/2020

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-05/2019 4069 पटना, दिनांक 08/09/2020

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/09/2020
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-05/2019 4069 पटना, दिनांक 08/09/2020

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


08/09/2020

सरकार के अपर सचिव

Handwritten signature

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-05/2019 4069 पटना, दिनांक 08/11/2020
प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार,
पटना/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण
कार्य विभाग/पंचायती राज विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य
विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य
अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी
राजपत्रित पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी-2, 3, एवं 13 ग्रामीण कार्य
विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

Chandra